हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष, 2015 की प्रथम नियमित बैठक की कार्यवाही, जो दिनांक 31 मार्च, 2015 को मध्याह्न 3–00 बजे आचार्य ए0डी0एन0 वाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित सम्माननीय सदस्य उपस्थित हुए :–

1– आचार्य राजेन्द्र सिंह चौहान
2– श्री राजेश शर्मा
3– डॉ0 एस0 एस0 कौशल
4– प्रो0 पी0एन0 बंसल
5– श्री कृष्ण वैद्य
6– आचार्य सतीश चन्द भढवाल
7– श्री चन्द्र शेखर
8– श्री देवी राम वर्मा
9–श्री बम्बर ठाकुर
10–श्री हरीश जनारथा
11–डॉ0 अनुराग शर्मा
12–प्रो0 एम0एल0 झारटा –कुलसचिव
सदस्य–सचिव

<u>मद संख्य–1 :</u> कुलपति महोदय का वक्तव्य।

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की ***वर्ष 2015 की प्रथम नियमित बैठक*** में मैं आप सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ।

सर्वप्रथम मैं हिमाचल प्रदेश के नव नियुक्त राज्यपाल, माननीय श्री कल्याण सिंह जी, जो कि प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं का विश्वविद्यालय समुदाय की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनके कुशल मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय नई ऊँचाईयों को प्राप्त करेगा।

इसके साथ–साथ मैं पूर्व राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एवं कुलाधिपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, माननीय श्रीमती उर्मिला सिंह जी का भी विश्वविद्यालय समुदाय की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ जिनकी प्रेरणा से विश्वविद्यालय ने कई आयाम स्थापित किए।

मैं, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय द्वारा कार्यकारिणी परिषद् के लिए नामित सदस्यों श्री हरीश जनार्था, उपाध्यक्ष राज्य पर्यटन विकास निगम व श्री बम्बर ठाकुर, माननीय सदस्य हिमाचल प्रदेश विधान सभा तथा राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य श्री चन्द्रशेखर के पुनः मनोनयन पर विशेष रुप से स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ। इसी के साथ गैर शिक्षक कर्मचारीवर्ग से निर्वाचित श्री देवी राम वर्मा का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ।

मैं, कार्यकारिणी परिषद् को अवगत करवाना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय ने कुशल वित्त प्रबन्धन द्वारा जहां एक ओर दिसम्बर, 2014 तक सेवानिवृत हुए प्राध्यापकों/कर्मचारियों के पैन्शन, ग्रेच्युटी इत्यादि का भुगतान कर लिया है वहीं अपने संसाधनों से विश्वविद्यालय की आय बढ़ाने में सार्थक प्रयास भी किए गए हैं। इसके साथ–साथ प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के बजट में 10 करोड़ रूपये की वृद्धि के लिए भी कार्यकारिणी परिषद्,माननीय मुख्यमन्त्री श्री वीरभद्र सिंह जी एवं राज्य सरकार का आभार व्यक्त करती है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में विश्वविद्यालय का अनुमानित व्यय 155.24 करोड़ है तथा विश्वविद्यालय की प्राप्तियां 130.48 करोड़ की है। इस प्रकार इस वित्तीय वर्ष में कुल घाटा 24.76 करोड़ का प्रस्तावित है जिसे विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश सरकार से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करके और अपने आय के स्त्रोत से पूर्ण करने का प्रयास करेगा।

मुझे कार्यकारिणी परिषद् को सूचित करते हुए यह भी हर्ष हो रहा है कि हिमालय की अपार जैव विविधता के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत एक करोड़ पैंतालिस लाख रुपये की राशि प्रदान की है। यह विशेष सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जीव विज्ञान विभाग की उपलब्धियों को मध्यनज़र रखते हुए तथा विभाग द्वारा किए जा रहे शोधकार्य को प्रोत्याहित करने के लिए प्रदान की है।

इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईं:–

- दिनांक 15–16 दिसम्बर, 2014 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में उत्तर क्षेत्र विश्वविद्यालयों के ***कुलपतियों के सम्मेलन*** में भाग लिया।
- दिनांक 20.12.2014 को पर्यटन प्रबन्धन (प्रशासन) एम.टी.ए. विषय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए ***विशेष कार्यक्रम सैप*** से सम्बन्धित बैठक आयोजित की गई।

- दिनांक 30.12.2014 को ***नववर्ष की पूर्व संध्या*** पर सभी प्राध्यापकों को विश्वविद्यालय सभागार में सम्बोधित किया तथा ***वर्ष 2015*** के लिए प्रमुख शैक्षणिक प्रतिवेदनों एवं कार्यक्रमों पर विस्तृत सम्बोधन दिया।
- दिनांक 31.12.2014 को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में ***उच्चतर शिक्षा के विकास तथा नए आयामों*** पर नई दिल्ली में आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया।
- दिनांक 10.01.2015 को गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा अहमदाबाद में आयोजित अप्रवासी भारतीयों के सम्मेलन के दौरान आयोजित अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी में ***"अप्रवासी भारतीयों की भारतीय शिक्षा के विकास में सहभागिता"*** विषय पर विशेष व्याख्यान दिया।
- दिनांक 23.01.2015 को महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेष एवं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती उर्मिला सिंह जी को उनका ***राज्यपाल के रूप में कार्यकाल पूर्ण होने पर सम्मानित*** किया।
- दिनांक 24.01.2015 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के समरहिल स्थित परिसर में ***हिमाचल निर्माता एवं प्रथम मुख्यमन्त्री डॉ.यशवन्त सिंह परमार की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण*** किया। विश्वविद्यालय परिसर में पहली बार किसी मुख्यमन्त्री की आवक्ष प्रतिमा स्थापित की गई है।
- दिनांक 26.01.2015 को पूर्व वर्षों की भान्ति ***66वें गणतन्त्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण*** किया गया तथा स्वतन्त्रता सेनानियों एवं देश की एकता व अखण्डता के लिए शहीद हुए वीर सैनिकों को स्मरणांजलि दी गई।
- दिनांक 06.02.2015 को माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश के साथ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कई विषयों पर विचार विमर्श हुआ जिसमें विश्वविद्यालय के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता, नए परिसरों के विकास के लिए प्रशासनिक एवं आर्थिक सहयोग, खाली पड़े शिक्षक और गैर–शिक्षकों के पदों को भरना सम्मिलित है।
- दिनांक 18.02.2015 को ***वित्त समिति की बैठक*** आयोजित की गई जिसमें कर्मचारियों से सम्बन्धित विभिन्न मदों को स्वीकृति प्रदान की गई।
- दिनांक 21.02.2015 को '***विश्वविद्यालय के कैनेडियन अध्ययन केन्द्र*** के तत्वावधान में कनाडा के फ्रैज़र वैली विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ शैक्षणिक कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए विस्तृत विचार विमर्श किया गया।
- दिनांक 23.02.2015 को विश्वविद्यालय में स्थापित यू.जी.सी.अकादमिक स्टाफ कॉलेज में अन्तर विषयों पर आधारित उच्चतर शिक्षा में हुए विकास पर ***पुनश्चर्या कार्यक्रम*** का शुभारम्भ हुआ।

- दिनांक 04.03.2015 को विश्वविद्यालय सभागार में विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन एवं विकास केन्द्र द्वारा '***महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण – मुद्दे एवं चुनौतियां***' विषय पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई।
- दिनांक 04.03.2015 को ही विश्वविद्यालय ***अनिर्दिष्ट अनुदान समिति की बैठक*** आयोजित की गई जिसमें विभिन्न विभागों में धनराशि आबंटित की गई।
- दिनांक 05.03.2015 को नेताजी सुभाष बोस राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के ***वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह*** में विश्वविद्यालय की ओर से सम्मिलित हुए एवं अध्यक्षता की।
- दिनांक 12.03.2015 को गांधीनगर स्थित सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला एवं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के संयुक्त तत्वावधान में ''***आधुनिक तकनीक के माध्यम से पुस्तकालय के रखरखाव***'' विषय पर तीन दिवसीय 10वां अन्तरराष्ट्रीय कैलिबर–2015 सम्मेलन आयोजित किया गया।
- दिनांक 14.03.2015 को राजकीय महाविद्यालय अर्की के ***वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह*** में विश्वविद्यालय की ओर से सम्मिलित हुए एवं अध्यक्षता की।
- दिनांक 17.03.2015 को शिमला साहित्य समाज द्वारा राजकीय महाविद्यालय संजौली शिमला–6 में आयोजित ***काव्य–संगोष्ठी*** का आयोजन किया गया जिसमें विश्वविद्यालय की ओर से सम्मिलित हुए एवं अध्यक्षता की।
- दिनांक 20.03.2015 को एम.टी.ए.विभाग द्वारा ***सैप कार्यक्रम के अन्तर्गत सांस्कृतिक पर्यटन विकास*** पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई।
- दिनांक 23.03.2015 को ***समान अवसर प्रकोष्ठ*** द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें विभिन्न आरक्षित श्रेणी के छात्र–छात्राओं को सरकारी योजनाओं, नियमों और कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस संगोष्ठी का उदघाटन हिमाचल प्रदेश सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल ने की।
- दिनांक 23.03.2015 को ही विश्वविद्यालय विधिक संस्थान ऑवालॉज़ द्वारा सामान्य ज्ञान पर ***वाद–विवाद तथा भाषण प्रतियोगिता*** आयोजित की गई जिसके समापन समारोह में शामिल हुआ।
- दिनांक 23.03.2015 को ही विभिन्न शैक्षणिक विभागाध्यक्षों, संकायों के अधिष्ठाताओं, शोध संस्थानों के निदेशकों तथा उच्च अधिकारियों के साथ ***बजटपूर्व प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श*** किया।
- दिनांक 27.03.2015 को विश्वविद्यालय ***कैनेडियन अध्ययन संस्थान द्वारा भारत और कनाडा*** के संदर्भ में दो दिवसीय राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय चिन्तर पर आधारित अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

- दिनांक 27.03.2015 को ही विश्वविद्यालय सभागार में विश्व ***रंगमंच दिवस के अवसर पर आकाशवाणी शिमला द्वारा आयोजित कार्यक्रम*** की अध्यक्षता की।
- 30.03.2015 को गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारका नई दिल्ली से सम्बद्ध दिल्ली स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ एण्ड रिसर्च द्वारा आयोजित किए गए प्रो.पी.एन.सिंह स्मृति व्याख्यान दिया।
- 30.03.2015 को अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली द्वारा गठित दो समितियों में सहभागिता की।

अब मैं विश्वविद्यालय के कुलसचिव से आग्रह करता हूं कि आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा के लिए प्रस्तुत करें।

मद संख्या–2 कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठक दिनांक 29–11–2014 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठक दिनांक 29–11–2014 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण किया ।

मद संख्या –3 : कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठक दिनांक 29–11–2014 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठक दिनांक 29–11–2014 में लिए गए निर्णयों का निम्नलिखित संशोधन/टिप्पणी के साथ अनुमोदन किया :–

(मद संख्या–25): कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि जो प्राध्यापक महाविद्यालयों में कार्यरत हैं उन्हें महाविद्यालय में अध्ययन का अनुभव होता है अतः परिषद् ने महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों को पीएच.डी में प्रवेश के लिए **प्रवेश परीक्षा से छूट** देने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

इसके अतिरिक्त परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शैक्षणिक मापदण्डों/अहर्ताओं को पूर्ण करते हैं पीएच.डी करवाने के लिए पर्यवेक्षक के पात्र होंगे ताकि छात्रों को पीएच.डी उपाधि पूर्ण करने में कोई कठिनाई न हो।

मद संख्या–4 : कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–12 –सी (7) के अन्तर्गत लिए गए निर्णयों से अवगत करवाना ।

.....

i)In Creating rowdyism in the University Campus while driving the vehicle under the influence of alcohol on 26.09.2014 at 6.00 p.m.,
Shri Kuldeep Singh, Research Officer, Institute of Integrated Himalayan Studies was placed under suspension vide Order of even number dated 22.11.2014 by the Hon'ble Vice-Chancellor in exercise of the powers vested in him under Section 12-C(7) of Himachal Pradesh University Act 1970 (as amended) and the Executive Council vide item No.4 of its meeting held on 29.11.2014 approved the suspension of Shri Kuldeep Singh ;

And whereas, after considering his request during the personal hearing given to him by the Hon'ble Vice-Chancellor on 6.2.2015, in the presence of the Pro-Vice-Chancellor, Shri Kuldeep Singh, Research Officer has ensured not to repeat any such type of indiscipline in future;

Now, therefore, in view of the above, the Hon'ble Vice-Chancellor after taking a lenient view and in exercise of powers vested in him under Section 12-C(7) of Himachal Pradesh University Act, 1970 (as amended) has been pleased to revoke the Suspension Order of Shri Kuldeep Singh of even number dated 22.11.2014.

ii)परीक्षा खण्ड के बी.ए. तृतीय वर्ष शाखा द्वारा श्री कार्तिक शर्मा सुपुत्र श्री बाल कृष्ण शर्मा के पक्ष में मार्च, 2014 सत्र में बिना परीक्षा फार्म भरे तथा बिना परीक्षा दिये परीक्षा अनुक्रमांक 11139496 के विरूद्ध जाली अंक तालिका जारी करने का मामला नवम्बर, 2014 में प्रकाश में आया । मामले में प्रभारी, पुलिस चौकी, समरहिल द्वारा श्री बाल कृष्ण शर्मा के विरूद्ध FIR No.224/2014 दिनांक 21.11.2014 U/S 420,467,468,471, 120-B IPC P.S. West Shimla, दर्ज की गई है जिसमें उचित कानूनी कार्यवाही प्रक्रिया में है । प्रभारी पुलिस चौकी, समरहिल से मामले की सूचना मिलने पर तथा 48 घण्टों से ज्यादा समय पुलिस हिरासत में रहने के कारण श्री बाल कृष्ण शर्मा की नियमानुसार deemed

suspension की जा चुकी है जिसे कार्यकारिणी परिषद् द्वारा दिनांक 29–11–2014 को आयोजित बैठक में मद संख्या–4 के अंतर्गत नोट करके अनुमोदित किया जा चुका है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त कुलपति महोदय द्वारा मामले की तथ्यात्मक जांच करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा मामले की जांच करके आवश्यक तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है । जांच रिपोर्ट के अवलोकनोपरांत कुलपति महोदय द्वारा तीन तरह के आदेश पारित किये गये हैं । कुलपति महोदय द्वारा जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न अग्रेषण पत्र पर पारित आदेश संख्या (2) एवं (3) की अनुपालना की जा चुकी है तथा आदेश संख्या (1) की अनुपालना हेतु कुलपति महोदय द्वारा श्री बाल कृष्ण शर्मा के विरूद्ध विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1970 की धारा 12–सी(7) के तहत CCS(CCA) Rules, 1965 के नियम–14 के अंतर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है तथा श्री बाल कृष्ण शर्मा के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय जांच प्रक्रिया में है ।

.....

नोट कर अनुमोदित किया ।

मद संख्या –5 : कार्यकारिणी परिषद के सम्माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है ।

....

कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से निर्धारित अवधि के अन्दर कोई मद प्राप्त नहीं हुई है ।

मद संख्या–6: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को हिमाचज प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (संशोधित)की धारा–29 के प्रावधानों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को विश्वविद्यालय अधिनियम 1970 (संशोधित) की धारा–29(2) के प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदित किया ।

मद संख्या–7: डॉ0 खेम चन्द एवं डॉ0 पी0एल0 शर्मा आचार्य गणित विभाग की जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत आचार्य के पद पर की गई पदोन्नति की तिथियों में संशोधन के लिए प्रकरण को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने गणित विभाग में जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत आचार्य के पद पर पदोन्नत डॉ0 खेम चन्द एवं डॉ0 पी0एल0 शर्मा की पदोन्नति की तिथियों क्रमशः दिनांक 1–11–2012 तथा 19–11–2012 के स्थान पर क्रमशः दिनांक 17–11–2012 व 20–11–2012 के संशोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या–8: कार्यकारिणी परिषद् की बैठक दिनांक 29–11–2014 की मद संख्या–7 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुसार चतुर्थ श्रेणी से लिपिक के पद पर पदोन्नत सर्वश्री नरेन्द्र कुमार व भगत राम चौहान के मामले को प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पुनः परीक्षण कर तथ्यों सहित कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त कहा कि सर्वश्री नरेन्द्र कुमार व भगत राम चौहान को चतुर्थ श्रेणी से लिपिक के पद पर पदोन्नत किये एक वर्ष से अधिक की समय अवधि हो चुकी है और वर्तमान में यदि इनकी पदावनति की जाती है तो इसमें कई कानूनी पेचीदगियां आ सकती हैं । यह पदोन्नतियां भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अंतर्गत कार्यकारिणी परिषद् को प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप की गई हैं। अतः कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि एक बार दोबारा प्रदेश सरकार से उपरोक्त पदोन्नतियों में दी गई छूट को स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया जाये और यह भी आश्वस्त किया जाये कि भविष्य में चतुर्थ श्रेणी से लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित कोटे में कोई छूट प्रदान नहीं की जायेगी । इसके अतिरिक्त परिषद् ने यह निर्णय भी लिया कि श्री भगत राम चौहान को टंकण परीक्षा को उतीर्ण करने में कोई छूट नहीं दी जाएगी ।

मद संख्या–9: श्री रजनीश कुमार, कनिष्ठ सहायक के असाधारण अवकाश (विना वेतन)को तृतीय वर्ष के लिए बढ़ाने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ हेतु रखने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने श्री रजनीश कुमार, कनिष्ठ सहायक के असाधारण अवकाश (विना वेतन)को तृतीय वर्ष अर्थात 5–7–2014 से 4–7–2015 तक बढ़ाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय के विदेशी भाषाएं विभाग में कार्यरत आचार्य (श्रीमती)शक्ति कपूर के असाधारण अवकाश (विना वेतन) की अवधि को एक और वर्ष के लिए दिनांक 16–12–2014 से 15–12–2015 तक बढ़ाने हेतु भी अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या–10: विश्वविद्यालय द्वारा तैयार समाचार–पत्रों में विभिन्न विज्ञापनों को जारी करने के लिए चार हिन्दी व अंग्रेजी के समाचार–पत्रों व पत्रिकाओं को सम्मिलित करने की स्वीकृति हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय के विभिन्न विज्ञापनों को प्रकाशित करने के लिए तैयार समाचार–पत्रों/पत्रिकाओं के रोस्टर में हिमाचल दस्तक (हिन्दी) व टाइम्स दैनिक सवेरा(हिन्दी) को सम्मिलित करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या–11: हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय गांधी चौक हमीरपुर, हि.प्र. से प्राप्त पत्र दिनांक 18–7–2014 अनुबन्ध 'क' विषय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त एम.सी.ए. ,बी.सी.ए और बी.बी.ए. कोर्सों की सम्बद्धता निरस्त कर सत्र 2015–2016 से हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर से सम्बद्धता प्रदान करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं आगामी आदेशों हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम.टैक और बी.टैक की प्रवेश परीक्षा के सम्बन्ध में जारी अध्यादेश–2008 (Act No.16 of 2008) का अध्ययन करने और विश्वविद्यालय विधि प्रकोष्ठ और विश्वविद्यालय कानूनी सलाहकार द्वारा दी गई विधिक राय पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में चलाये जा रहे उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए पूर्व की भांति अपने स्तर पर ही प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करेगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय उपर्युक्त अधिनियम (Act No.16 of 2008) में समाविष्ट नहीं होता। कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करने के लिए समस्त कार्यकारिणी परिषद् शीघ्रातिशीघ्र प्रदेश के माननीय मुख्यमन्त्री जी से मिलकर विश्वविद्यालय का पक्ष रखेगी और इसके लिए माननीय कुलपति महोदय माननीय मुख्यमन्त्री महोदय से मिलने के लिए उचित समय लेंगे ।

मद संख्या–12: कार्यकारिणी परिषद् की बैठक दिनांक 30–12–2013 में मद संख्या–11 के अंतर्गत लिए गए निर्णयों को अधिसूचित करने के लिए मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय अध्यादेश के अध्याय–38 में प्रस्तावित रेगुलेशन फॉर ऐफिलेशन ऑफ कॉलेज, ऐप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ ऐफिलेशन, आवश्यक दस्तावेज की सूची, अंडरटेकिंग, लैंड टाईटल सर्टिफिकेट, निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क की सूची को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया ।

मद संख्या–13: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष जम्मू–कश्मीर के छात्रों के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सामान्य पाठ्यक्रमों में 2 सीटें Supernumerary श्रेणी के अंतर्गत सृजन करने बारे मामला अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने जम्मू–कश्मीर के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय के सामान्य पाठ्यक्रमों में 2 सीटें Supernumerary श्रेणी के अंतर्गत सृजन करने हेतु अनुमोदित किया ।

मद संख्या–14: बायो–मीट्रिक मशीनों को विश्वविद्यालय में लगाने के लिए बनाई गयी समिति व उप–समिति की सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने बायो–मीट्रिक मशीनें लगाने के लिए बनाई गई समिति व उप–समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने के उपरान्त विश्वविद्यालय में बायो–मीट्रिक मशीनें लगाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की । परिषद् ने यह भी निर्णय लिया इन मशीनों की खरीद पर होने बाला व्यय अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र के छात्र निधि से न लेकर इन पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय की सामान्य निधि से किया जाए। तथापि सम्माननीय सदस्यों श्री देवी राम वर्मा, आचार्य सतीश चन्द भढवाल, आचार्य पी.एन. बंसल तथा डॉ0 अनुराग शर्मा ने विश्वविद्यालय में बायो–मीट्रिक मशीनें लगाने पर अपनी असहमति व्यक्त की क्योंकि विश्वविद्यालय में कार्य की प्रकृति प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से भिन्न है ।

मद संख्या–15: पुस्तकालय सलाहकार समिति की दिनांक 30–12–2014 को हुई बैठक में मद संख्या–4 के अंतर्गत की गई सिफारिशों के अनुसार पुस्तकालय नियमों में संशोधन करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकरिणी परिषद् ने पुस्तकालय सलाहकार समिति की दिनांक 30–12–2014 को हुई बैठक में मद संख्या–4 के अंतर्गत की गई सिफारिशों के अनुसार पुस्तकालय नियमों में संशोधनों को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया ।

मद संख्या–16: बी.टैक सिविल इंजीनियरिंग के सातवें समैस्टर की छात्रा सुमन कुमारी सुपुत्री श्री हरि सिंह अनुक्रमांक 47722 के पेपर CE-7013 का संशोधित परीक्षा परिणाम को पुनः घोषित करने का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने सुमन कुमारी सुपुत्री श्री हरि सिंह अनुक्रमांक 47722 के बी.टैक सिविल इंजीनियरिंग के सातवें समैस्टर के पेपर CE-7013 के संशोधित परीक्षा परिणाम को पुनः घोषित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी परिषद् ने इस तरह के सभी प्रकरणों में विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया ।

मद संख्या–17: बी. फॉर्मेसी आयुर्वेदा के छठे समैस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित करने के उपरान्त दूसरे पेपर की प्रैक्टिकल परीक्षा के अंकों/परिणाम में आवश्यक सुधार करके पुनः परीक्षा परिणाम घोषित करने का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने बी. फॉर्मेसी आयुर्वेदा के छठे समैस्टर के दूसरे पेपर की सांतवें समैस्टर के तीसरे पेपर के साथ ली गई प्रैक्टिकल परीक्षा के अंकों को छठे समैस्टर के दूसरे पेपर के साथ जोड़कर, छठे समैस्टर का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय अध्यादेश 6.73 के अनुरूप शुद्धि कर पुनः घोषित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी परिषद् ने इस तरह के सभी प्रकरणों में विश्वविद्यालय अध्यादेश 6.73 के अंतर्गत विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया ।

मद संख्या–18: State Bank of India or any Schedule Bank , H.P. State Cooperative Bank Ltd. के साथ HDFC Bank Ltd. शब्द हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लेखा संहिता में सम्मिलित करने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर विस्तार से चर्चा करने के उपरान्त HDFC तथा AXIS बैंक को विश्वविद्यालय के लेखा संहिता में सम्मिलित करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की । परिषद् ने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को किसी अन्य बैक में निवेश करने के लिए प्रदेश में स्थित अन्य बैंकों से भी प्रस्ताव आमंत्रित करने चाहिए ताकि कार्यकारिणी परिषद् अन्य बैंकों द्वारा दी जाने वाली व्याज दरों के गुण–दोष के आधार पर कोई उचित निर्णय ले सके ।

मद संख्या–19: डॉ0 विनय कुमार के चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 16–2–2012 से नियमित नियुक्ति उपरान्त 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पश्चात् स्थाईकरण का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने डॉ0 विनय कुमार के चिकित्सा अधिकारी के पद पर परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 16–2–2014 से स्थायीकरण हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या–20: कार्यकारिणी परिषद् की बैठक दिनांक 30–7–2014 की यथास्थान मद के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्थापना दिवस मनाने के लिए नियमावली बनाने हेतु अधिसूचित समिति की सदस्यता में कुलपति महोदय द्वारा किये गये परिवर्तन कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय स्थापना दिवस मनाने के लिए नियमावली बनाने हेतु अधिसूचित समिति की सदस्यता में कुलपति महोदय द्वारा किये गये परिवर्तन को नोट कर अनुमोदित किया ।

मद संख्या–21: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 18–02–2015 को हुई बैठक की सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने वित्त समिति की दिनांक 18–02–2015 को हुई बैठक की सिफारिशों को **संलग्नक** के अनुरूप निम्नलिखित टिप्पणी के साथ अनुमोदित किया :–

(मद संख्या–12): सम्माननीय सदस्य श्री देवी राम वर्मा ने विश्वविद्यालय के अनुभाग अधिकारी व सहायक कुलसचिव के वेतनमान में आई वेतन विसंगति का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया और कहा कि इन दोनों पदो ंके वेतमानों व ग्रेड पे में 2006 के संशोधित वेतनमान से पहले काफी भिन्नता रही है इससे पहले अनुभाग अधिकारी वर्ग तक के पदों को सचिवालय पद्धति पर वेतमान प्रदान किये जाते रहे हैं जबकि सहायक कुलसचिव को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पद्धति पर सहायक आचार्य के बराबर संशोधित वेतनमान प्रदान किया जाता रहा है लेकिन 1–1–2006 से सरकार द्वारा जो वेतनमान व ग्रेड पे जारी किये गये हैं वे न तो प्रदेश सरकार के किसी पद के समकक्ष दिये गये हैं और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान हैं । अतः हिमाचल प्रदेश सरकार से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एल.पी.ए. संख्या–11/2012

में दिये गये निर्णय की प्रति उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया जाये ताकि कार्यकारिणी परिषद् इसका अवलोकन कर इस पर उचित निर्णय ले सके ।

(मद संख्या–16): सम्माननीय सदस्य श्री देवी राम वर्मा ने विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला तथा तकनीकी कर्मचारियों को पंजाब पद्धति पर संशोधित वेतनमान प्रदान करने का मामला भी कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया और कहा कि जब से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है तब से प्रयोगशाला एवं तकनीकी कर्मचारियों को पंजाब पद्धति पर संशोधित वेतनमान प्रदान किये जा रहे हैं इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार में जो प्रयोगशाला व तकनीकी कर्मचारी कार्यरत हैं उनके शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की अपेक्षा कम है और दूसरे स्कूलों में कार्यरत प्रयोगशाला व तकनीकी कर्मचारियों की तुलना विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला व तकनीकी कर्मचारियों से नहीं की जा सकती क्योंकि विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं में उच्च दर्जे का अनुसंधान कार्य प्रयोगशालाओं में किया जाता है । जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया यदि विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला तथा तकनीकी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान पंजाब सरकार की तर्ज पर दिये गये हैं तो पंजाब सरकार की अधिसूचना की प्रति कार्यकारिणी परिषद् में प्रस्तुत की जाये ।

मद संख्या–22: बारहवीं योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा संचालित समस्त भारवर्ष में स्थापित अकादमिक स्टाफ कॉलेजों का नाम बदल कर UGC-Human Resource Development Centre(HRDC) तदानुसार यूजीसी–अकादमिक स्टाफ कॉलेज, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला का नाम बदल कर UGC-Human Resource Development Centre (HRDC), Himachal Pradesh University, Shimla-5(यूजीसी–मानव संससाधन विकास केन्द्र, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला–5) किए जाने की अनुमति ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने बारहवीं योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार यूजीसी. अकादमिक स्टाफ कॉलेज का नाम बदल कर UGC-Human Resource Development Centre (HRDC), Himachal Pradesh University, Shimla-5(यूजीसी–मानव संससाधन विकास केन्द्र, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला–5) किए जाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या–23: एन.सी.सी. के विद्यार्थियों की तरह एन.एस.एस. के विद्यार्थियों को भी विशेष परीक्षा हेतु मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है ।

कार्यकारिणी परिषद् ने एन.एस.एस. के विद्यार्थियों को जिन्होंने 26 जनवरी, 2015 (गणतन्त्र दिवस)की परेड में भाग लिया था एन.सी.सी. के विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए दिये गये विशेष अवसर के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा शिमला स्थित परीक्षा केन्द्र में विशेष परीक्षा देने के लिए प्रदान की गई स्वीकृति का पुष्टिकरण किया ।

मद संख्या–24: एकीकृत हिमालय अध्ययन संस्थान में अनुबन्ध आधार पर कार्यरत शोध अधिकारियों की 6 वर्ष की सेवा अवधि पश्चात् नियमितीकरण के प्रकरण को सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा निर्देशों के आलोक में गठित छानबीन/पात्रता हेतु अधिसूचना संख्याः 7–1/2002–हि0प्र0वि0(स्थापना) दिनांक 5–1–2015 द्वारा गठित समिति की दिनांक 6–1–2015 को हुई बैठक की कार्यवाही कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने एकीकृत हिमालय अध्ययन संस्थान में अनुबन्ध आधार पर कार्यरत परियोजना अधिकारी के नियमितीकरण पर चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया कि इस मामले में प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की अनुपालना की जाये ।

अतः कार्यकारिणी परिषद् ने श्री नितिन व्यास, प्रोजैक्ट अधिकारी की नियमितीकरण की पात्रता दिनांक 1–4–2015 से निर्धारित करने का निर्णय लिया ।

मद संख्या–25: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 26–3–2015 को By Circulation सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही कार्यकारिणी परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के संशोधित बजट 2014–2015 तथा बजट अनुमान 2015–2016 को अनुमोदित किया ।

मद संख्या–26: विश्वविद्यालय व्यवसायिक अध्ययन महाविद्यालय में विज्ञापित कम्प्यूटर तकनीकी सहायक के पद को कम्प्यूटर ऑपरेटर में परिवर्तित करने के लिए मामला कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने विश्वविद्यालय व्यवसायिक अध्ययन महाविद्यालय में विज्ञापित कम्प्यूटर तकनीकी सहायक के पद को प्रदेश सरकार के समकक्ष कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद का वेतनमान 10300–34800 +3200 ग्रेड पे में परिवर्तित करने को अनुमोदित किया । परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले लिखित रूप में यह लेना होगा कि वह विज्ञापित कम्प्यूटर तकनीकी सहायक के पद के विरूद्ध **कम्प्यूटर ऑपरेटर** के पद पर नियुक्ति के लिए सहमत हैं ।

मद संख्या–27: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र नोएडा, उत्तर प्रदेश के आय और व्यय का ब्यौरा कार्यकारिणी परिषद् के सूचनार्थ प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र के नोएडा स्थित अध्ययन केन्द्र के आय और व्यय के प्रस्तुत ब्यौरे पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त सम्माननीय सदस्य श्री हरीश जनारथा जी की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों की समिति के गठन का निर्णय लिया :–

1– वित्त अधिकारी

2– अधिशासी अभियन्ता (निर्माण)

3– निदेशक, इक्डोल –संयोजक

उपरोक्त समिति नोएडा स्थित इस अध्ययन केन्द्र का निरीक्षण कर इस अध्ययन केन्द्र के अनुकूलतम उपयोग एवं संसाधन जुटाने हेतु अपनी रिपोर्ट कार्यकारिणी परिषद् को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करेगी ।

यथा–स्थान मदें :–

श्री चन्द्र शेखर

सम्माननीय सदस्य श्री चन्द्र शेखर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अध्ययन केन्द्रों को खोलने हेतु यथाशीघ्र प्रयास किये जायें जिससे विश्वविद्यालय की आय में बृद्धि हो।

सम्माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय में वर्ष 2012 से पिछले 5 वर्ष के दौरान जो भी नियुक्तियां की गई हैं वे कब, कैसे और किन नियमों के तहत हुई हैं का पदवार पूर्ण ब्यौरा कार्यकारिणी परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

श्री हरीश जनारथा

सम्माननीय सदस्य श्री हरीश जनारथा ने कहा कि स्नातक स्तर के 2001 और उसके बाद उपाधि उतीर्ण विद्यार्थियों को पूर्व की भांति श्रेणी सुधार के लिए एक और विशेष अवसर प्रदान करने के मामले का परीक्षण कर इसे कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

श्री कृष्ण बैद्य

सम्मानीय सदस्य श्री कृष्ण वैद्य ने महाविद्यालय विकास समिति के गठन पर माननीय कुलपति जी का आभार व्यक्त किया जिसका परिषद् के सभी सम्माननीय सदस्यों ने भी स्वागत किया । श्री कृष्ण बैद्य जी ने कुलपति महोदय से आग्रह किया कि महाविद्यालय विकास समिति की बैठक शीघ्रातिशीघ्र आयोजित की जाये ताकि इसमें रूसा प्रणााली (CBCS) लागू होने पर महाविद्यालयों से सम्बन्धित कई मामलों जैसे इन्टरनल असैस्मैंट इत्यादि पर चर्चा कर कोई निर्णय लिया जा सके जिस पर माननीय कुलपति महोदय ने उन्हें महाविद्यालय विकास समिति की बैठक जल्दी आयोजित करने का आश्वासन दिया ।

कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि प्रदेश के पूर्व महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय श्रीमती उर्मिला सिंह जी को उनके द्वारा विश्वविद्यालय के विकास में दिये गये योगदान के लिए उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव प्रेषित किया जाये तथा वर्तमान महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को भी अभिनन्दन–पत्र प्रेषित किया जाये । इसके अतिरिक्त माननीय

मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश द्वारा विश्वविद्यालय को वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए प्रदान किये गये अनुदान में 10 करोड़ रूपये की बढ़ौतरी के लिए भी धन्यवाद प्रस्ताव प्रेषित किया जाये ।

बैठक में विश्वविद्यालय में भाड़े पर नियुक्त सुरक्षा कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने पर चर्चा की गई जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि भाड़े पर नियुक्त इन सुरक्षा कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में सुरक्षा कर्मचारियों के रिक्त कुछ पदो के विरूद्ध समायोजित करने तथा शेष और पद सृजन करने के लिए मामला पूर्ण विवरण सहित वित्त समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

बैठक में अन्त में कार्यकारिणी परिषद् के सभी सम्माननीय सदस्यों ने कुलपति के पूर्व सचिव आचार्य ओ.पी. चौहान के 19 दिसम्बर, 2014 को हुए आकस्मिक निधन पर शौक प्रस्ताव पारित कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि वे उनके परिवार को इस असहनीय क्षति को सहन करने की क्षमता प्रदान करे ।

अन्त में बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्मपन्न हुई ।

(आचार्य मोहन झारटा)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता0/–

(आचार्य ए.डी.एन. बाजपेयी)
सभापति/कुलपति